मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5628
26.07.2019 को उत्तर के लिए

नारो पहाड़ी की जैव-विविधता

5628. श्री गणेश सिंह:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित नारो पहाड़ी में विभिन्न छोटे और बड़े जानवर तथा सदाबहार पर्णपाती वनों सहित पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सतना जिले में कई दुर्लभ औषधीय पादप पाए जाते हैं और समुचित देखरेख के अभाव में कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सतना वन विभाग ने प्रकृति को समर्पित 500 एकड़ भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) मध्य प्रदेश के सतना जिले की नारो पहाड़ी में विभिन्न वनस्पति और पशु प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, भालू, सांभर, नीलगाय, सियार, लंगूर, बंदर, खरगोश, मोर, उल्लू; जैसे पशु तथा फ्लेम लिलि, परिजात, कपूरी, रतनजोत, हिना जैसे पौधे शामिल हैं। नारो पहाड़ी, विंध्या क्षेत्र का एक भाग है और एक शुष्क पर्णपाती वन है।

(ग) और (घ) विंध्या क्षेत्र में विभिन्न औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संकटग्रस्त हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ डिलिनिआ पैन्टागाइना, प्लम्बैगो केपेंसिस, साइलोटम नूडम, ड्रोसेरा बर्मनी, एलेक्ट्रा चितराकुटीनसीस, कोर्डिया मेक्लीओडी, कोस्टस स्पेसीओसस स्ट्राईक्नोस नेक्स-वोमिका, प्लम्बैगो जेलेंसिया आदि शामिल हैं।

(ड.) और (च) मध्य प्रदेश जैवविविधता बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, सतना जिला वन विभाग द्वारा नारो पहाड़ी को सतना वन प्रभाग के अंतर्गत जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 और मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम, 22 के तहत अपेक्षित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। जैवविविधता विरासत स्थल, नारो पहाड़ी, सतना की प्राथमिक अधिसूचना मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिसूचना संख्या 2392-1335-2017-दस-2, दिनांक 22.12.2018 के द्वारा जारी की गई।

प्राथमिक अधिसूचना के संबंध में अनापत्ति प्राप्त हुई है जिसे जिला पंचायत, सतना को सहमति के लिए भेज दिया गया है।

******